

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला-भीलवाडा

पीठारीन अधिकारी :- गडीपालसिंह, आर०ए०ए०ए०

मुकदमा संख्या :-/48/2020 ज० पत्र

1- मिश्राराम सोडा तेवी नि० मिश्रफाजिपास करेडा-करेडा -प्रार्थी।

वनाम

1- बालू सोमीभा गुर्जर नि० मिश्रफाजिपास करेडा-करेडा-को विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० राज० अधि० 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 16/3/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा० मू० राज० अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मिश्रफाजिपास, पेटवार हल्का गोरखपुरा, मू० अ० नि० क्षेत्र गोरखपुरा में उनके खाता संख्या 143 की आ० नं० 3622/3084 रकबा 2.00 बीघा

स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11/3/20 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हंसा-फंसी होने का अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मिश्रफाजिपास, पेटवार हल्का गोरखपुरा, मू० अ० नि० क्षेत्र गोरखपुरा में उनके खाता संख्या 143 की आराजी नम्बर 3622/3084 रकबा 2.00 बीघा

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ० नि० गोरखपुरा को 450/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण गौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की गौजूदगी में गौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फराल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

सलमन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक उपखंड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भोजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन
उपखंड अधिकारी
सहायक उपखंड अधिकारी
करेडा जिला भीलवाडा